

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-209/15
संस्थापित दिनांक-21.08.2015

| |
|--|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन |
| विरुद्ध |
| 1- चौहान लोधी पुत्र रमेश लोधी उम्र 28 साल निवासी- ग्राम वोकलपुर तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपी |

:- निर्णय :-
(आज दिनांक 07.03.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 354, 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 18.04.2015 को समय सुबह 9 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी छओली नदी स्थित महूआ पेड़ के पास परिवादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी, उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया तथा परिवादी/आहत पूनम को स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 06.03.2017 को फरियादिया पूनम एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी चौहान लोधी को भा.द.वि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया पूनम ने उसकी मां गुड्डीबाई, पिता कृपाल सिंह के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 18.04.2015 को सुबह 9 बजे की बात है वह अकेली छओली नदी के पास महूआ के पेड़ के पास महूआ बीनने गई थी तभी गाँव का चौहान लोधी उसके पास आया और उसने बुरी नियत से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए उसने हाथ छोड़ा तो आरोपी ने उसका मुँह दबा दिया, उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने उसे धक्का मारा वह गिर पड़ी जिससे उसके हाथ पैरों में मुँदी चोट आ गई, फिर चौहान लोधी भाग गया फिर फरियादिया ने घर आकर सारी घटना अपनी मम्मी गुड्डीबाई व पिता कृपाल सिंह लोधी को बताई थी। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.04.2015 को समय सुबह 9 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी छओली नदी स्थित महूआ पेड़ के पास परिवादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी, उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। पूनम अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानती है। घटना 18/4/15 की है। वह अपने गाँव बाकलपूर में महूआ के पेड़ के नीचे महूआ बीन रही थी तब आरोपी आया और उसे धक्का मार कर चला गया था। धक्का लगने से वह गिर गई थी उसे हाथ पैरों में मुंदी चोट आई थी। इसके अलावा आरोपी ने कोई घटना उसके साथ कारित नहीं की थी। उसने घर पर आकर उक्त सारी घटना अपने माता पिता को बताई थी। उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ थाना चंदेरी में रिपोर्ट लिखाने गई थी। प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी चोटों की डॉक्टर की चंदेरी अस्पताल में हुई थी। पुलिस घटना स्थल पर आई थी। घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 उसके समक्ष तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे। उसने उक्त घटना पुलिस को कथन देते समय बताई थी।

07. अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि महूआ बीनते समय आरोपी ने बुरी नियत से उसके दोनों हाथ पकड़ लिये थे और जब वह हाथ छुड़ाने चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुँह दबा दिया। इस बात से इंकार किया कि उसने पुलिस के अलावा किसी अन्य जगह पर घटना के संबंध में कोई कथन दिये अथवा नहीं। साक्षियों ने इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि उसने आरोपी द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाली बात अपने माता पिता बताई थी। स्वतः कहा झगड़े वाली बात बताई थी।

08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गुड्डी अ0सा02, कृपाल अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानते हैं। पूनम एवं आरोपी के

बीच महुआ बीनते समय धक्का देने एवं धक्के के कारण गिरने से चोट आना बताया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि आरोपी चौहान लोधी ने पूनम को चुपचाप से आकर बुरी नियत से उसके दोनों हाथ पकड़कर एवं छुड़ाने पर मुंह दबा दिया था।

09— पूनम अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं पीडित है ने अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि आरोपी से महुआ बीनते समय धक्का लगने से गिर गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना चंदेरी में की थी तथा अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक 18.04.2015 को समय सुबह 9 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी छओली नदी स्थित महुआ पेड़ के पास परिवादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी, उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया तथा अभियोजन साक्षी गुड्डीबाई आ0सा02, कृपाल अ0सा03, ने भी घटना का लेसमात्र समर्थन नहीं किया है। जिससे उक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

10— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त चौहान लोधी ने दिनांक 18.04.2015 को समय सुबह 9 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी छओली नदी स्थित महुआ पेड़ के पास परिवादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी, उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया। अतः **अभियुक्त चौहान लोधी पुत्र रमेश लोधी उम्र 29 साल निवासी— ग्राम बोकलपुर थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0** को भा.द.वि. की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।

12— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

13— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

// 4 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-209 / 15